179

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 11/2010–11

नागेश्वर मुसूफ .... अपीलकर्ता

बनाम

झारखण्ड सरकार .... उत्तरकारी

।। आदेश ।।

08/04/2016 यह रे0मि0 अपील वाद सं0 11/2010–11 नागेश्वर मुसूफ, मौजा नकटी अंचल जामा बनाम् झारखंड सरकार के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0 82/1995–96 में पारित आदेश दिनांक 18.01.2010 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैनें अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में दाखिल कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध में तत्कालीन उपायुक्त द्वारा रे0मि0 अपील वाद सं0 94/2009–10 में आदेश दिनांक 30.08.2011 को आदेश पारित किया जा चुका है। निम्न न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध तत्कालीन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2011 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस आदेश में निम्न न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 18.01.2010 के स्थान पर 10.01.2011 अंकित है जो लिपिकीय भूल कहा जा सकता है। चूँकि निम्न न्यायालय के अभिलेख में दिनांक 10.01.2011 को कोई आदेश पारित नहीं है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2010 से संबंधित विषयवस्तु पर तत्कालीन उपायुक्त द्वारा रे0मि0 अपील वाद सं0 94/2009–10 में आदेश दिनांक 30.08.2011 को आदेश पारित किया जा चुका है। पुनः इस वाद पर किसी प्रकार का आदेश पारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित ।

उपायुक्त
दुमका।

उपायुक्त
दुमका।